

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020 — आषाढ़ 5, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जून 2020

सूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4.- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 वर्ष 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से साठ दिवस के अवसान पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित रूप में, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि के अवसान के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रायपुर	अभनपुर	गोबरा-नवापारा	राजस्व निरीक्षक मण्डल नवापारा के पटवारी हल्का नंबर 34, 35, 42, 44, 45, 46, 47 एवं 52 के कुल 17 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल पिपरौद के पटवारी हल्का नंबर 24, 37, 38, 39, 40, 41, 43, एवं 51 के कुल 15 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल तोरला के पटवारी हल्का नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 36 के कुल 22 ग्राम। अतः कुल 24 पटवारी हल्के के 54 ग्राम नवीन तहसील “गोबरा नवापारा” में शामिल होंगे।	उत्तर – तहसील आरंग, जिला-रायपुर दक्षिण – तहसील कुरुद, जिला-धमतरी पूर्व – तहसील राजिम जिला-गरियाबंद पश्चिम – तहसील अभनपुर, जिला-रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 26th June 2020

NOTICE

No. F 11-01/2019/Seven-4. — In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), To create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur, Chhattisgarh before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Raipur	Abhanpur	Gobra Nawapara	Total 17 villages of Patwari Halka No.34, 35, 42, 44, 45, 46, 47 and 52 of Revenue Inspector Mandal Nawapara. Total 15 villages of Patwari Halka No. 24, 37, 38, 39, 40, 41, 43 and 51 of Revenue Inspector Mandal Pipraud. Total 22 villages of Patwari Halka No. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 36 of Revenue Inspector Mandal Torla. Hence, 54 villages of total 24 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Gobra Nawapara".	North – Tehsil Arang, Dist-Raipur South – Tehsil Kurud, Dist-Dhamtari East – Tehsil Rajim, Dist-Gariyaband West – Tehsil Abhanpur, Dist-Raipur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D. DIWAN, Joint Secretary.